भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 231B/2017-18

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

बलराम महतो ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

सुभाष चन्द्र महतो.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
26-10-19		

विक्रेता :- बलराम महतो पिता अमृत महतो, ग्राम–काण्ड्रा, वार्ड नं0–13, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड),जाति–कुर्मी।

क्रेता :- सुभाष चन्द्र महतो पिता शिवनाथ महतो, ग्राम–मोलाडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 20.02.2018 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता सुभाष चन्द्र महतो पिता शिवनाथ महतो, ग्राम–मोलाडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मोलाडीह	खरसावाँ / 123	54 / 5	498	0.18ए0
			498	0.54ए0
			565	0.14ए0
			810	0.09ए0
			कुल–	**0.95ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, खरसावाँ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, खरसावाँ का पत्रांक 679 दिनांक 19.07.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के स्वयं के नाम से पंजी–II में जमाबंदी कायम है।
2. प्रस्तावित भूमि का लगान वर्ष 2018–19 तक अद्यतन है।
3. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
4. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा–2.09 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
5. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहता है।
6. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला एवं जाति–'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते है।

लगातार..................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, खरसावाँ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 20.02.2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, खरसावाँ के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता बलराम महतो पिता अमृत महतो, ग्राम–काण्ड्रा, वार्ड नं0–13, थाना–काण्ड्राँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता सुभाष चन्द्र महतो पिता शिवनाथ महतो, ग्राम–मोलाडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.95एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

26/10/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner